

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.)  
अनवान

अन्तिम डिक्री

वादीनीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बगतुकंवर पत्नी फूलसिंह 2 उषबकंवर पत्नी स्वरूपसिंह 3 सलूकंवर पत्नी पवनसिंह जाति राजपूत निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।		1 दुर्गाराम 2 नखताराम 3 धनश्याम पिसरान इन्द्राराम 4 तुलसीदेवी पत्नी इन्द्राराम जाति नाई निवासी बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर 5 गवरीदेवी पत्नी देवाराम जाति जाट निवासी डावली तहसील गुडामालानी 6 हेमसिंह 7 भभूतसिंह 8 राजेन्द्रसिंह पिसरान उम्मेदसिंह 9 बन्नेसिंह पुत्र रतनसिंह 10 किशोरसिंह 12 प्रतापसिंह पिसरान भाखरसिंह 12 मनोहरसिंह पुत्र छतरसिंह जाति रापजूत निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर 13 तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत 53, 88 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 155 / 2017

निर्णय दिनांक :- 30.7.21

वकील वादीनीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या .....-..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ..... को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मसजद वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 12 के मध्य मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1813 रकबा 77.12 बीघा भूमि में से वादीगण का संयुक्त रूप से रकबा 19.14.15 बीघा भूमि का विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरंग
1	बगतू कंवर पत्नी फूलसिंह, उषबकंवर पत्नी स्वरूपसिंह, सेलूकंवर पत्नी पवनसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	3899 / 1813	19.14.05	बा.दो.	01.18	हरा
2	दुर्गाराम पुत्र इन्द्रा 4780 / 22755 नखताराम धनश्याम पिसरान इन्द्रा 1/2 जाति नाई सा. देह हेमसिंह भभूतसिंह राजेन्द्रसिंह पिसरान उम्मेदसिंह बनेसिंह पुत्र रतनसिंह किशोरसिंह प्रतापसिंह पिसरान भाखरसिंह मनोहरसिंह पुत्र छतरसिंह 2455 / 22755 कौम राजपूत सा. देह खातेदार	3899 / 1813	56.17.15	बा.दो.	3.42	नारंगी पीला

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 30.7.21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(रोहित चौहान)  
पीठासन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

## वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	